(35)

संख्या-2/2/2004-स्था.(वेतन-II)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

***

नई दिल्ली, दिनांकः 1 जून, 2005

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत नियुक्त होने वाले अधिकारियों के संबंध में ठीक नीचे के नियम से सम्बद्ध नीति की समीक्षा ।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर दिनांक 26.10.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/13/93-स्था.(वेतन-II) का हवाला देने का निदेश हुआ है ।

2. उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा-3 में निम्नलिखित शर्तें निहित हैं :-

(i) प्रोफार्मा पदोन्नति समुचित प्राधिकारी द्वारा किसी विनिर्दिष्ट तारीख से अनुमोदित की जाए;

(ii) सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने (अयोग्य घोषित किए जाने वालों को छोड़कर) प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाने वाली तारीख को अथवा उससे पहले उच्च पद पर वेतन लेना आरम्भ कर दिया हो;

(iii) उससे ठीक निचले अधिकारी द्वारा भी उस तारीख से उच्च पद का वेतन लेना आरम्भ कर दिया गया हो तथा उसकी नियुक्ति कोई आकस्मिक घटनावश नहीं हुई हो; तथा

(iv) यह लाभ 'एक पर एक' आधार पर प्रदान किया जाए ।

3. इस विभाग के ध्यान में ऐसे उदाहरण लाए गए हैं जहाँ मूल संवर्ग से बाहर ऐसा कोई अधिकारी जिसे ठीक नीचे के नियम के अंतर्गत अपने मूल संवर्ग में प्रोफार्मा पदोन्नति मिली हो उसे उसके प्रोफार्मा पदोन्नति वाले उच्च पद पर इसलिए वेतन नहीं दिया जा रहा होता क्योंकि उसके वरिष्ठ अथवा कनिष्ठ अधिकारी द्वारा पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया और उन्होंने उच्च वेतनमान में वेतन लेना आरम्भ नहीं किया । प्रोफार्मा पदोन्नति मिलने वाले अधिकारी को इस कारण कोई हानि नहीं पहुँचे इसलिए दिनांक 26.10.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/13/93-स्था.(वेतन-II) में विहित शर्तों (ii) तथा (iii) को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाए :

... 2/-

(ii) सभी वरिष्ठ अधिकारियों (अयोग्य घोषित किए जाने वालों को छोड़कर) को उस वेतनमान में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान किए जाने वाली तारीख से अथवा उससे पहले नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाए ।

(iii) उससे ठीक निचले अधिकारी को भी उस तारीख से उच्च पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाए तथा उसकी पदोन्नति कोई आकस्मिक धटनावश न की गई हो । दिनांक 26.10.93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-2/13/93-स्था.(वेतन-II) की बाकी सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

4. इसे वित्त मंत्रालय की दिनांक 27.12.04 की आई.डी. संख्या-7(10)-ई-III(क)/2004 के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

5. भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों के संबंध में ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श के बाद जारी किए जा रहे हैं ।

रीता माथुर

(रीता मांथुर)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।